(30)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/4900 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.06.2017 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल, होशंगाबाद तह. व जिला होशंगाबाद सीमांकन प्रकरण क्रमांक 16/2016-17.

विजय सिंह परिहार आ0 श्री प्रहलाद सिंह
निवासी ग्राम उन्द्राखेड़ी तह0 व जिला
होशंगाबाद
.....आवेदक

विरूद्ध

सुरजीत सिंह आ0 श्री हुजूर सिंह
निवासी ग्राम उन्द्राखेड़ी तह0 व जिला
होशंगाबाद
.....अनावेदक

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदक
श्री विक्रम शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल, होशंगाबाद तह. व जिला होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 23.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम उन्द्राखेड़ी, तहसील होशंगाबाद स्थित सर्वे क्रमांक 199, 200, 211 कुल रकबा 3534 हैक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु संहिता की धारा 129 के अंतर्गत तहसीलदार होशंगाबाद के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक को सीमांकन किये जाने के निर्देश दिये गये। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/अ-12/2016-17 दर्ज कर दिनांक 23.06.2017 को सीमांकन किया गया। राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ दिनांक 27.03.2018 को आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अत: प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमो में लिखित आधारों एवं अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है। आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमो में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है:-

(1) राजस्व निरीक्षक द्वारा संहिता की धारा 129 के आदेशात्मक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है और प्रकरण में आसपास की चतुर्सीमा के भूमि स्वामियों को सूचना पत्र नहीं दिया गया है। मौके पर जाकर सीमांकन नहीं किया गया तथा कथित सीमांकन में दो प्रतिवेदन सीमांकन को फर्जी होना प्रमाणित करते हैं। सीमांकन में मौका नक्शा, फील्डबुक, पंचनामा आदि नहीं होने के कारण तथा कथित सीमांकन विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) राजस्व निरीक्षक द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि आवेदक के कब्जे वाली भू-स्वामी श्रीमती सरोज बाई के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि क्रय की जाकर वह विक्रय पत्र दिनांक काबिज कास्त है। ऐसी स्थिति में अनावेदक भू-धारक नहीं होने के कारण श्रीमती सरोज बाई के कब्जे की भूमि का सीमांकन करा पाने का अधिकारी नहीं है।

(3) राजस्व निरीक्षकको यह देखना था कि प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिवेदन पूर्व में दिनांक 08.06.2017 को आपसी सहमति के आधार पर सीमांकन कराये जाने का तय किये जाने के आधार पर सीमांकन प्रकरण निरस्त किया गया था, जो कि राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 08.06.2017 में स्पष्ट है तथा विधि की प्रक्रिया का पालन किये बगैर ही उक्त प्रकरणमें पुन: राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक को सूचना पत्र दिये बिना ही दिनांक 23.06.2017 को सीमांकन प्रतिवेदन पेश कर प्रतिवेदित किया है कि आवेदक का उक्त भूमि पर कब्जा है।

(4) राजस्व निरीक्षक को यह देखना चाहिए था कि वास्तव में ग्राम उन्द्राखेड़ी तहसील व जिला होशंगाबाद की भूमि खसरा नं. 211 रकबा 0.514 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 210 में चकबंदी के आधार पर भौतिक अमल नहीं हुआ है तथा चकबंदी एवं राजस्व नक्शों में काफी विरोधाभास है। वास्तव में आवेदक भूमि खसरा नम्बर 210 की भू-स्वामी श्रीमती सरोज परिहार का सिकमीदार है। नक्शों में भिन्नता होने के कारण चकबंदी नक्शा उक्त भूमि सर्वे क्रमांक 210 एवं 211 का पृथक-पृथक नक्शा है, किन्तु राजस्व नक्शे में आज तक बटांकन नहीं हुआ है।

(5) राजस्व निरीक्षक द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि ग्राम में दो नक्शे हैं तथा चकबंदीवर्ष 1991-92 के नक्शे/खसरे में भारी त्रुटि है जिसका नियमानुसार कबूलीयत नामा लेकर चकबंदी अमल मौके पर आज तक नहीं हुआ है तथा अनावेदक उसी नक्शे की त्रुटि का लाभ लेने की नियत से सीमांकन आवेदन पत्र आवेदक के कब्जे की भूमि को हड़पने की दुर्भावना से प्रस्तुत किया है। चकबंदी वर्ष 1991-92 के नक्शे/खसरे की त्रुटि को ठीक कराये बगैर किया गया सीमांकन विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(6) अनावेदक द्वारा जिस चतुर्सीमा की भूमि का सीमांकन चाहा है उसका पंजीकृत विक्रय पत्र श्रीमती सरोज बाई के पक्ष में है। उक्त स्थिति में रजिस्टर्ड दस्तावेज की जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है इसलिए राजस्व निरीक्षक का आदेश क्षेत्राधिकारविहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

(7) ग्राम के चकबंदी नक्शे/खसरे की त्रुटि का ज्ञान अनावेदक को भी है तथा अनावेदक स्वयं उक्त भूमि पर क्रय के पश्चात् कभी काबिज भी नहीं रहा। अनावेदक के पिछले कई वर्षों से उक्त भूमि पर कब्जे में रहने का पूर्ण ज्ञान अनावेदक को है।

(8) सीमांकन प्रकरण में विधिवत नियमों का पालन नहीं हुआ है। आवेदक को सूचना नहीं दी गई और आवेदक की अनुपस्थिति में अवैधानिक रूप से सीमांकन किया गया है। सीमांकन के संबंध में फील्डबुक, नक्शा एवं पंचनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में आदेशात्मक प्रावधानों का उल्लंघन कर दिया गया। सीमांकन विधि सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

(9) राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश संहिता की धारा 129 के नियमों के विपरीत होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ अनावेदक को 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने थे, परंतु उनके द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन के संबंध में सूचना पत्र की तामीली आवेदक पर विधिवत् नहीं की गई है। राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक की अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है, जो कि सीमांकन नियमों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अत: प्रकरण राजस्व निरीक्षक को इस निर्देश के साथ भेजा जाये कि वह आवेदक सहित समस्त पड़ोसी कृषकों को विधिवत् सूचना पत्र की तामीली कराई जाकर उनकी उपस्थिति में सीमांकन करें।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल, होशंगाबाद तह. व जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में पुन: सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक को भेजा जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर